



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

खाना चाहे है या किसी विद्यमान  
मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना  
चाहे है तो अनुतोष प्रदान किया जा  
सकता है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 25A(क)  
R.T. Act के तहत नहीं आता है  
अतः न्यायालय इस प्रार्थना-पत्र को  
स्वार्थित किया जाना उचित समझता है  
अतः प्रार्थना-पत्र 25A(क) स्वार्थित  
किया जाता है पत्रावली के सल शुमार  
दोन्कर नम्बर से कम की जाने वाली  
अपवर्षी का प्रवर्ष आता है।  
निर्णय आज दिनांक 19-3-2021 को सरे  
इजलास सुनाया गया।

उप सचिव अधिकारी  
मंगरोल जिला नार्त (राज.)